न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 113/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर.टी.ए.

अनवान

1. शंभूलाल पुत्र स्वर्गीय श्री नानूराम ब्राह्मण दुबे निवाासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रविधर पुत्र स्वर्गीय श्री भंवरलाल ब्राह्मण दुबे निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी संचेती कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती कांता पुत्री स्वर्गीय श्री भंवरलाल ब्राह्मण दुबे पत्नी स्वर्गीय श्री सूरजमल शर्मा निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद हाल निवासी संचेती कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. श्यामसुन्दर पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्दनारायण शर्मा दुबे निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. किशनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्दनारायण शर्मा दुबे निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आजाद नगर , भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. कमलनयन पुत्र स्वर्गीय श्री गोविन्दनारायण शर्मा दुबे निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आजाद नगर , भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती सुनिता पुत्री स्वर्गीय श्री गोविन्दनारायण शर्मा पत्नी धीरज कुमार शर्मा संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल निवासी इन्दौर (मध्यप्रदेश)

वादीगण

बनाम

1. सुरेशचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा निवासी गंगापुर गोयरा पुल के पास, सहाड़ा चौराया के पास, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा निवासी गंगापुर कुण्ड चौक, कन्याशाला के पास, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री जगदीशचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा निवासी C/O काली, शान्ति गुजर का मकान, [illegible] हॉस्पीटल के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. श्रीमती नर्बदा पुत्री स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा निवासी कालाजी बाबजी के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रति . प्र 3/. 920

5. श्रीमती ललीता पुत्री स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री प्रभुलाल शर्मा निवासी ओजियाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. श्रीमती मंजू पुत्री स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती सीमा पुत्री स्वर्गीय श्री बंशीलाल ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री बद्रीलाल शर्मा निवासी मैलोनी, गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री बालुराम ब्राह्मण शर्मा निवासी गंगापुर मृतक के बजाए उनके वारिसान निम्न है:-
   8/1 राजेश उर्फ राजू पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप ब्राह्मण शर्मा निवासी गंगापुर बडी हथाई जाटों का मोहल्ला, गंगापुर जिला भीलवाड़ा
   8/2 श्रीमती सोहन देवी पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप ब्राह्मण शर्मा निवासी गंगापुर बडी हथाई जाटों का मोहल्ला, गंगापुर जिला भीलवाडा
   8/3 श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. स्व0 श्री रामस्वरूप ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री देवीलाल पिता श्री बद्रीलाल शर्मा निवासी आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
   8/4 श्रीमती मधुबाला पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप ब्राह्मण शर्मा पत्नी श्री संतोष कुमार पिता श्री माधवलाल शर्मा निवासी दियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास महिर रेडिमेड स्टोर, मेन चौपाटी, मालपुर जिला मोडासा (गुजरात)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापुर, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 आर0टी0ए0 बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत्।

अधिवक्ता वादीगणः- श्री छितरमल सिसोदिया

अधिवक्ता प्रतिवादीगण- ....

निर्णय **दिनांक** 9/12/19

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के परिवार का सजरा निम्नानुसार है:-

नानू उर्फ नानूराम पुत्र श्री लालु ब्राह्मण निवासी गंगापुर

भंवरलाल (मृतक)	गोविन्दनारायण (मृतक)	शंभूलाल

रविशंकर पुत्र	कान्ता पुत्री	श्यामसुन्दर पुत्र	किशनलाल पुत्र	कमलनयन पुत्र	सुनिता पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (मुख्यालय अधिकारी) (सि.) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उक्तानुसार वादी संख्या 1 नानूराराम का पुत्र तथा अन्य वादीगण उनके पौत्र व पौत्रिया है।

यह कि ग्राम गंगापुर की सीमा में निम्न कृषि आराजियात स्थित है जिनका विवरण निम्नानुसार है आराजी खसरा संख्या 2129/1 क्षेत्रफल एक बीघा एक बिस्वा, आराजी संख्या 2129/2 क्षेत्रफल चार बीघा नो बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2130 क्षेत्रफल 15 बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2131 क्षेत्रफल एक बीघा, आराजी खसरा संख्या 2133 क्षेत्रफल 9 बिस्वा कुल किता 5 क्षेत्रफल 7 बीघ 14 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात संवत् 2010 से लगाकर 2021 तक नानू उर्फ नानूराम पिता लालू व गुस्मात अम्बाबाई बेवा बिहारीलाल ब्राह्मण के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज चली आ रही थी। दोनों का बराबर – बराबर हक व हिस्सा है। अपने – अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 8 के पिता जो प्रतिवादी संख्या 2 के श्वसुर एवं अन्य के पितामाह है, जिनका नाम बालु पुत्र लालू है, को वादी संख्या एक के पिता व अन्य वादीगण के दादा श्री नानूराम पुत्र श्री लालू ने वाद वर्णित आराजियात का अपना हिस्सा न तो विकय की है, न ही बक्षीस या अन्य तरह से अन्तरित ही किया है तथ न हीं किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा कोई निर्णय, डिकी या आदेश दिया है कि नानूराम पुत्र लालू के नाम अंकित उक्त आराजियात का हिस्सा बालु पुत्र लालू के नाम पर खातेदारी से दर्ज किया जावे। उसके उपरान्त भी रेवेन्यु अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अन्तरण दस्तावेज व न्यायालय के निर्णय के ही संवत् 2022 से 2025 की जमाबंदी जो चौसाला लिखी गई, उसमें नानूराम पुत्र लालूराम ब्राह्मण के बजाए बालु पुत्र लालू ब्राह्मण के नाम दर्ज कर दी गई, जो उनकी मृत्यु तक उनके नाम व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गई, जो अब तक भी उनके नाम दर्ज चली आ रही है। श्री बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 29 दिसम्बर 2013 को हो चुकी है। इस कारण उनके बजाए उनके वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया है।

यह कि गंगापुर का नया भू–प्रबंध हो जाने से उक्त वर्णित आराजियात के नये नम्बर व क्षेत्रफल बने जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

आराजी खसरा संख्या 2303 क्षेत्रफल 1.22 हे0, आराजी खसरा संख्या 2362/2493 क्षेत्रफल 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.47 हे0 लगानी 2 रूपया 94 पैसा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

यह कि श्रीमती अम्बा बाई बेवा बिहारीलाल के वारिस नहीं होने से उन्होंने अपने हिस्से की भूमि वसीयत से श्री भंवरलाल पुत्र श्री नानूराम ब्राह्मण दुबे के पक्ष में निष्पादित कर दी, जिसमें श्रीमती अम्बा बाई की मृत्यु के पश्चात् भूमि वसीयत से भंवरलाल के नाम दर्ज रेकार्ड हुई, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अतः विरासत से उनके स्थान पर उनके वारिस वादी संख्या 2 व 3 है, के नाम दर्ज हुई है, जो उनके नाम पर दर्ज चली आ रही है।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (प्रथम) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

यह कि श्री नानूराम पुत्र लालू ब्राह्मण दुबे की मृत्यु दिनांक 27.06.1995 को हो चुकी है। उनके वारिस उनके पुत्र भंवरलाल, गोविन्दनारायण, शंभूलाल है। नानूराम के हिस्से में प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा है यानि सम्पूर्ण आराजियात के क्षेत्रफल में 1/6 हिस्सा वादी संख्या 1 का, 1/6 हिस्सा वादी संख्या 4 से 7 का है । उसी अनुसार ही काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है व लगान जमा करा रहे है।

यह कि वादीगण का उक्त हिस्सा वर्तमान में बंशीलाल , रामस्वरूप पुत्र बालू ब्राह्मण शर्मा के नाम पर दर्ज है। बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 है। इस तरह प्रतिवादीगण का बिना हक व अधिकार के ही राजस्व अधिकारियों के बिना अधिकार के ही नाम दर्ज कर दिया है। अतः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज वाद वर्णित आराजियात का जो हिस्सा दर्ज है, उस हिस्से के वादीगण अपने हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। अतः इस गलत इन्द्राज को वादीगण हटवाने व दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से दर्ज होने से उनके मन में बदयान्ति आ गई है , वे उक्त हिस्से पर कब्जा करना चाहते है व अन्य को अन्तरित करना चाहते है। अतः वादीगण उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने वाद पत्रमें प्रार्थना की है कि ग्राम गंगापुर की सीमा में निम्न कृषि आराजियात स्थित है जिनका विवरण निम्नानुसार है आराजी खसरा संख्या 2129/1 क्षेत्रफल एक बीघा एक बिस्वा, आराजी संख्या 2129/2 क्षेत्रफल चार बीघा नो बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2130 क्षेत्रफल 15 बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2131 क्षेत्रफल एक बीघा, आराजी खसरा संख्या 2133 क्षेत्रफल 9 बिस्वा कुल किता 5 क्षेत्रफल 7 बीघ 14 बिस्वा स्थित है। जिनके नये नम्बर आराजी खसरा संख्या 2303 क्षेत्रफल 1.22 हे0, आराजी खसरा संख्या 2362/2493 क्षेत्रफल 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.47 हे0 लगानी 2 रूपया 94 पैसा है।

जो वर्तमान में बंशीलाल पुत्र बालु ब्राह्मण के व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम अंकित है, चूंकि बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 है, उनके व [illegible] खातेदार कृषक घोषित कराया जावे। वादी संख्या एक को उक्त आराजियात का 1/6 हिस्से का , वादी संख्या 2 व 3 को 1/6 हिस्से [illegible] 4 से 7 को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कराया जावे तथा शेष 1/2 वादी संख्या 2 व 3 के नाम जो पूर्व से ही दर्ज है व उन्हीं के नाम पूर्ववत् यथावत् दर्ज रहेगा। प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करवाया जाकर रेकार्ड दुरूस्त फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराई जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में दखल नहीं देंवे। वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे व काश्त लाभ लेने देवे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा अन्य को अन्तरण नहीं करें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम का प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 का प्रा0 पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान 8/1 लगायत 8/4 एंव प्रतिवादी संख्या 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया जाता है। दिनांक 01.10.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से No INSTRACTION किये जाने से प्रतिवादीगण को आवाजे दिलवाई गई जो अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 व P.W-2 प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम गंगापुर की जमाबन्दी संवत् 2010 से 2013 पेश की है जो प्रदर्श 1 है। जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 पेश की है जो प्रदर्श 2 है। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 पेश की है जो प्रदर्श 3 है। बंशीलाल पिता बालुराम का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया जो प्रदर्श 4 है। मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो प्रदर्श 5 है। नामान्तरण संख्या 340 पेश की है जो प्रदर्श 6 है। नकल जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 पेश की है जो प्रदर्श 7 है। जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 पेश की है जो प्रदर्श 8 है। नक्शाट्रेस प्रदर्श 9 है। एवं चालु जमाबंदीया 2070–2073 पेश की जो प्रदर्श 10 है। वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 10 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अव किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में वादपत्र प्रस्तुत किये।

ग्राम गंगापुर आराजियात आराजी खसरा संख्या 2129/1 क्षेत्रफल एक बीघा एक बिस्वा, राजी संख्या 2129/2 क्षेत्रफल चार बीघा नो बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2130 क्षेत्रफल 15 बिस्वा, आराजी खसरा संख्या 2131 क्षेत्रफल एक बीघा, आराजी खसरा संख्या 2133 क्षेत्रफल 9 बिस्वा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कुल किता 5 क्षेत्रफल 7 बीघ 14 बिस्वा स्थित है। जिनके नये नम्बर आराजी खसरा संख्या 2303 क्षेत्रफल 1.22 हे0, आराजी खसरा संख्या 2362/2493 क्षेत्रफल 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.47 हे0 लगानी 2 रूपया 94 पैसा है।

जो वर्तमान में बंशीलाल पुत्र बालु ब्राह्मण के व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम अंकित है, चूंकि बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 है, उनके व प्रतिवादी संख्या 8 के मुकाबले खातेदार कृषक घोषित किया जाना व वादी संख्या एक को उक्त आराजियात का 1/6 हिस्से का , वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 4 से 7 को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना तथा शेष 1/2 वादी संख्या 2 व 3 के नाम जो पूर्व से ही दर्ज है व उन्हीं के नाम पूर्ववत् यथावत् दर्ज रहेगा। प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज करवाया जाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जाना एवं वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है ग्राम गंगापुर की सीमा में कृषि आराजी खसरा संख्या 2303 क्षेत्रफल 1.22 हे0, आराजी खसरा संख्या 2362/2493 क्षेत्रफल 0.25 हे0 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.47 हे0 लगानी 2 रूपया 94 पैसा है। जिसमें वादी संख्या एक को उक्त आराजियात का 1/6 हिस्से का , वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 4 से 7 को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम उक्त हिस्से अनुसार दर्ज करवाया जाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जावें एवं वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:41 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner